31-IV-2017

# Online Public Data Entry Summary

उत्तराखण्ड शासन

UKPDE2017050300818

**DISTRICT NAME :पौडी गढ़वाल SRO :पौडी** 22-Nov-2017 2:39:38PM

Deed/Article Type :Trust (Movable)

Sub-Deed/Sub-Article :Trust (Movable)

Village/Location :

Area : 0.0000

**Transaction Value :0.00** **Market Value :0.00** **Regn Fees :100.00** **Stamp Duty :110.00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance | :0.00 | Lease Period :0.00 | | Avg. Rent | :0.00 | Construction Value :0.00 | |
| Khasra | : | Khatoni | : | Khewat | : | House/Flat | : |
| Land Value | :0.00 | Page | :24 28 | Words | :1,000 | Deed Writer /Advocate Name | : |

## व्यवसायिक निर्माण का विवरण

| क्र.सं | निर्माण का प्रकार | रक्बा |
|---|---|---|

## आवासीय निर्माण का विवरण

| क्र सं | निर्माण क्षेत्र | निर्माण का प्रकार | निर्माण तल | ह्रास वर्ष | रक्बा |
|---|---|---|---|---|---|

## निबंधक शुल्क का विवरण

| क्र सं | भुगतान की विधि | धनराशि | संदर्भ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | Cash | 100.00 | 0 |

## स्टाम्प शुल्क का विवरण

| क्र सं | भुगतान की विधि | धनराशि | संदर्भ क्रमांक | जारी दिनांक | स्टांप विक्रेता आईडी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e-Stamp | 110.00 | IN-UK22323831624250P | 22-Nov-2017 | 8/05 |

## पक्षकारों का विवरण

| पक्षकार का प्रकार | पक्षकार का विवरण | हस्ताक्षर | व्यवसाय | पैन नं | मोबाइल नं | पहचान पत्र संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विक्रेता / प्रथम पक्ष | श्री उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित श्री दिनेश कुमार उपनिदेशक /भू वैज्ञानिक पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल पुत्र श्री राम चन्द्र सिंह निवासी बतौर सदस्य सचिव उत्तराखंड | | GOVT. JOB | FORM 60 | 9412047204 | ADHAAR : 313748216991 |
| क्रेता / द्वितीय पक्ष | C/O- , - निवासी - | | OTHERS | FORM 60 | 0 | OTHERS : 0 |
| गवाह | श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री माधो सिंह निवासी भू वैज्ञानिक कार्यालय | | GOVT. JOB | | 8126912019 | ADHAAR : 707995163482 |
| गवाह | श्री बालकृष्ण बहुगुणा पुत्र श्री रामकृष्ण बहुगुणा निवासी भू वैज्ञानिक कार्यालय | | GOVT. JOB | | 9412907531 | ADHAAR : 733397014884 |

**INDIA NON JUDICIAL**

# Government of Uttarakhand

## e-Stamp

सत्यमेव जयते

| | | |
|---|---|---|
| **Certificate No.** | : | **IN-UK42323831624250P** |
| Certificate Issued Date | : | 22-Nov-2017 12:38 PM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1221704/ PAURI/ UK-PG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK122170485264461857965P |
| Purchased by | : | DIPTY DIRECTOR MINING |
| Description of Document | : | Article 64(A) Trust |
| Property Description | : | Trust |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0<br>(Zero) |
| First Party | : | DIPTY DIRECTOR MINING |
| Second Party | : | NA |
| Stamp Duty Paid By | : | DIPTY DIRECTOR MINING |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 110<br>(One Hundred And Ten only) |

E-Stamping UK
Issued by
S S Negi
Licence No 18/05
Pauri Garhwal

------------------------------------------Please write or type below this line------------------------------------------

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

## जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास जनपद पौड़ी गढ़वाल

मैं उप–निदेशक/भू–वैज्ञानिक पौड़ी जनपद पौडी गढ़वाल उपस्थिति दिनेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र सिहं बतौर सदस्य सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून की अधिसूचना सं0 1621/VII-1/2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर 2017 के क्रम में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास जनपद पौड़ी गढ़वाल की स्थापना करता हूँ। न्यास की शासी परिषद एवं प्रबन्ध समिति तथा न्यास के उद्वेश्य, नियम एवं विनियमन उक्त अधिसूचना के क्रम निम्नवत होगे–

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** 1.

**(1)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड़ जिला खनिज फाउन्डेशन न्याय नियमावली 2017 है।

**(2)** यह दिनांक 12 जनवरी 2015 को प्रवृत हुई समझी जायेगी।

**(3)** यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी।

**परिभाषाएं** 2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली मे,

**(क)** अधिनियम से समय–समय पर यथा संशोधित खान और खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 अभिप्रेत है,

**(ख)** प्रभावित क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहा खनन संक्रिया की जा रही है या जारी हो,

**(ग)** प्रभावित व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे खनन से सबधित कियाकलापो द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है, या जिसकी सम्पति की क्षति होती है,

**(घ)** निधि से न्यास की निधि अभिप्रेत है,

**(ड)** सरकार से उत्तराखण्ड़ सरकार अभिप्रेत है,

**(च)** परिहार धारकों से अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के उपबन्धो के अधीन स्वीकृत खनन पट्टा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन अनुज्ञ पत्र के धारक अभिप्रेत है,

**(छ)** खनिज और उपखनिज से ऐसे खनिजि अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित है,

**(ज)** न्यास से अभिसूचनासं0 1329/VII-1/2017/08 ख/16 दिनांक 11 अक्टूबर 2017 द्वारा परिभाषित जिला खनिज, फाउन्डेशन न्यास अभिप्रेत है,

**(झ)** न्याय विलेष से राजय सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष में निष्पादित विलेख अभिप्रेत है,

**(ञ)** न्यास/न्यासीगण से न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/व्यक्ति अभिप्रेत है,

**न्यास के उद्देश्य** 3. न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(1) 'खनन संक्रियाओं' या अन्य संबंधित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना;

(2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और

(3) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना;

**न्यास का गठन एवं प्रबन्ध** 4. न्यास का गठन एवं प्रबन्ध नियमानुसार होगा :–

(1) न्यास में एक शासी परिषद् एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;

(2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा;

(3) शासी परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

| | |
|---|---|
| (क) संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष |
| (ख) संबंधित मा० सदस्यगण विधान सभा | सदस्य |
| (ग) जिलाधिकारी / कलेक्टर | सदस्य |
| (घ) जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हों) | सदस्य |
| (ङ) मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| (च) मुख्य चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| (छ) सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो) | सदस्य |
| (ज) लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो) | सदस्य |
| (झ) पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो) | सदस्य |
| (ञ) लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो) | सदस्य |
| (ट) जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| (ठ) जिला पंचायत अधिकारी | सदस्य |
| (ड) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी | सदस्य |
| (ण) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| (त) खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान | सदस्य |
| (थ) ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी | सदस्य सचिव |

नोटः–संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद् की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद् के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

(4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष होगा;

(5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जाय;

(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी।